an>

Title: Need to exempt BPL card for scheduled casts and widow in currently sponsored schemes.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन्स में बीपीएल की अनिवार्यता के विÂषय को मैं सदन में उठाना चाहता हूं।

महोदया, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और विशेÂष रूप से अनुसचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं, जब उनके क्षेत्र में हम दौरा करने जाते हैं तो उनके पास बीपीएल कार्ड नहीं होने के कारण वे सभी प्रकार की पेंशन योजनाओं से वंचित हो रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि विशेÂष रूप से अनुसूचित जाति की विधवा महिलाओं के लिए बीपीएल की अनिवार्यता समाप्त की जाए, ताकि सामाजिक सुरक्षा का लाभ लेकर विधवा महिलाएं और विकलांग व्यक्ति सम्मानजनक जीवन जी सकें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष :

श्री सी.पी. जोशी,

श्री रोड़मल नागर,

श्री सुधीर गुप्ता,

श्री आलोक संजर और

कुंवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चंदेल को डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।